National Seeds Project Phase-III (NSP-III) a scheme implemented with the assistance of World Bank.

(c) and (d) under NSP-III, the Govt. of India appointed M/s Tata Consultancy Services to make diagnostic study of NSC and to recommend remedial measures for improving the working efficiency and viability of the Corporation.

The major recommendations made by the consultanta to improve the efficiency of the Corporation were as under:

(i) Organisational re-structuring for reducing the over heads;
(ii) Capital re-structuring for reducing the interest burden;
(iii) To increase the production and marketing activities;
(iv) To revise the product-mix from high volume crops to high value crops; and
(v) To adjust the staff level to match the revised production and marketing activities.

Appropriate steps to implement the recommendations of the consultants have already been initiated by the Management of the Corporation.

कच्छ वनस्पति की सुरक्षा

4105. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति भारी संख्या में पाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने क्षेत्र में कच्छ वनस्पति पाई जाती है;

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्य रूप से किन-किन क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति पाई जाती है;

(घ) क्या सरकार ने कच्छ वनस्पति के संरक्षण और परिरक्षण के लिए कोई कदम उठाएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) (क) से (ग) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1995 के अनुसार सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में कच्छ वनस्पति क्षेत्र 137 वर्ग किलोमीटर है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति द्वारा कवर किया गया कुल क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिये)

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा कच्छ वनस्पति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(1) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को कच्छ वनस्पति के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उत्प्रेरक सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्राथमिकता के आधार पर 15 कच्छ वनस्पति क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। अब तक प्रबंध कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को 5.32 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। प्रबंध कार्य योजना के तहत गतिविधियों में सर्वेक्षण और सीमांकन, प्राकृतिक पुनर्जनन, वनीकरण पौधशाला विकास, सुरक्षा उपाय, शिक्षा और जागरूकता सम्मिलित है।

(2) नमभूमि, कच्छ वनस्पति, और प्रवालभित्ति पर सरकार को कच्छ वनस्पति के संरक्षण/अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्राथमिक क्षेत्रों के अभिनिर्धारण के लिए उचित नीतियों पर सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। स्तरीय प्रबंध कार्य योजना को कार्य रूप देने और क्रियान्वित करने के लिए संचालन समिति गठित की गई है।

(3) कच्छ वनस्पति पारि-प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक अध्ययन करने और जांच-पड़ताल करने के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान शुरू किए गए हैं।

(4) संरक्षित क्षेत्रों जिसमें कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जीवमंडल रिजर्व शामिल हैं, का एक नेटवर्क कच्छ वनस्पति क्षेत्रों में स्थापित किया गया है।

विवरण

स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 1995 के अनुसार कच्छ वनस्पति क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा।

		क्षेत्र (वर्ग कि०मी० में)
1.	आंध्र प्रदेश	383
2.	गोवा	3
3.	गुजरात	689
4.	महाराष्ट्र	155
5.	उड़ीसा	195
6.	तमिलनाडु	21
7.	पश्चिम बंगाल	2119
8.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	966
9.	कर्नाटक	2
	कुल	4533

12.00 NOON

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, what happened to the Constitution (Amendment) Bill? The Prime Minister promised yesterday.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Let the papers be laid first.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report and Accounts (1994-95) of the Indian Museum, Calcutta and related papers

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S. R. BOMMAI: Sir, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Annual Report and Accounts of the Indian Museum, Calcutta, for the year 1994-95, together with the Audit Report on the Accounts.

(ii) Review by Government on the working of the above Museum.

(iii) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) above.

[Placed in Library, *See* No. LT-465/96]

Notification of the Ministry of Finance and Notifications of the State Bank of India and the Punjab and Sind Bank

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Sir, on behalf of Shri P. CHIDAMBARAM, I lay on the Table:—

(I) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue) under Section 159, of the Customs Act, 1962 and Explanatory Memoranda on the Notifications:—

(1) G.S.R. No. 120(E), dated the 11th March, 1996 to facilitate quick disposal of the currencies immediately after seizure without waiting for the departmental adjudication proceedings.

(2) G.S.R. No. 334(E), dated the 24th July, 1996 seeking to amend List 9 of Notification No. 46/90-Cus. dated the 23rd July, 1996 so as to include specified components in the list of Electronics Components, attracting a concessional rate of basic customs duty of 20%.

(3) G.S.R. No. 338(E), dated the 31st July, 1996 amending the notification No. 47/96-cus. dated the 23rd July, 1996 as a consequence to to the extension of Modvat scheme to textiles.

(4) G.S.R. No. 354(E), dated the 6th August, 1996 seeking to amend List 9 Notification No. 46/96-Cus., dated the 23rd July, 1996 so as to include specified components in the list of Electronic components, attracting a concessional rate of basic customs duty of 20%.

(5) G.S.R. No. 396(E), dated the 2nd September, 1996 restoring the All Industry Rate of Drawback on